

भर्ती नियम शाखा

भर्ती नियमों के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन

भर्ती नियम

खंडन

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का यह संकलन सामान्य मार्गदर्शन, सूचना और उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें निहित जानकारी सामान्य प्रकृति की है और किसी भी प्रकार से संपूर्ण नहीं है तथा इसमें शामिल मुद्दे कानूनी या वैधानिक अभिमत, सलाह, विवेचना या प्राधिकार की प्रकृति के नहीं हैं। उद्धृत किए गए नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को समय के साथ परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, और किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेशों को संदर्भित किया जाए। किसी भी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग ऐसी किसी भी देयता, हानि, क्षति, या किए गए व्यय या ऐसे दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो इस संकलन में निहित सामग्री का उपयोग करने के परिणामस्वरूप किया गया है, चाहे वह किसी भी सीमा में और इसके संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि या चूक के कारण हो।

1. संघ लोक सेवा आयोग के साथ मंत्रालयों / विभागों द्वारा परामर्श के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

संविधान के अनुच्छेद 320 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करने और संशोधन करने के लिए आयोग से परामर्श लिया जाएगा। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि समय-समय पर यथासंशोधित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए छूट प्राप्त पदों के अतिरिक्त समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियमों को तैयार/संशोधित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाए।

2. क्या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना अधिसूचित भर्ती नियम वैध हैं?

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालयों / विभागों से अपेक्षित है कि समय-समय पर यथासंशोधित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के लिए छूट प्राप्त पदों के अतिरिक्त समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियमों को तैयार/संशोधित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाए। यदि किसी ऐसे पद, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है, और आयोग के परामर्श के बिना भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में उन भर्ती नियमों को "अस्तित्व में नहीं" माना जाएगा।

3. भर्ती क्या है और भर्ती नियम क्या हैं?

भर्ती किसी निर्दिष्ट पद के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है और भर्ती नियम भर्ती करने के लिए संविधि के अधीन निर्धारित प्रावधान हैं। भारतीय संविधान या सांविधिक

संगठन के लिए लागू विशिष्ट अधिनियम के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से अपेक्षित है कि वह विभिन्न सिविल पदों के भर्ती नियमों के लिए परामर्श दे जो उन पदों के लिए निर्धारित है।

4. भर्ती नियमावली और सेवा नियमावली में क्या अंतर है?

सेवा नियमावली भारत संघ की किसी निश्चित संगठित सेवा (सेवाओं) के लिए तैयार की जाती हैं और व्यापक सांविधिक दस्तावेज हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए विनिर्देश भी सम्मिलित हैं :-

- क. शीर्षक और परिभाषाएं
- ख. प्राधिकृत संख्या और ग्रेड
- ग. प्रारंभित गठन और भावी अनुरक्षण
- घ. वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, परिवीक्षा और भर्ती की पद्धति
- ड. देयताएं और निरर्हता
- च. छूट से संबंधित प्रावधान
- छ. अपवाद खंड

भर्ती नियम उन सिविल पदों के लिए तैयार किए जाते हैं जो संगठित सेवाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। भर्ती नियमों में संगठित सेवा (सेवाओं) के सेवा नियमों के कई खंड सम्मिलित नहीं होते हैं और निर्धारित 13 कॉलम की अनुसूची सहित एक अधिसूचना होती है। अनुसूची में विभिन्न प्रावधानों, जैसे पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन लेवल, भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता आदि, का विवरण होता है।

5. किस प्रकार के पदों को “संघ लोक सेवा से परामर्श अनिवार्य” की परिधि से छूट दी गई है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड 3 में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मामलों का निर्धारण किया है जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है। उक्त खंड के परंतुक में, ऐसे मामलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने का प्रावधान है जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग या मामले में या किसी विशिष्ट परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है। तदनुसार, सरकार ने समय-समय पर संशोधित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958, को अधिसूचित किया है जिसमें अनुच्छेद 320 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में उन सेवाओं और पदों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श में छूट प्राप्त है।

6. क्या सांविधिक संगठनों को उनकी अधिकारिता में आने वाले पदों के संबंध में भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट प्राप्त है?

संविधान के अनुच्छेद 321 के अंतर्गत निर्धारित अधिदेश के अनुसार, संसद अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसे संगठन, जहां उस अधिनियम की निर्दिष्ट धारा के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श की अपेक्षा है, वहां उन संगठनों के अधीन ऐसे समूह क और समूह ख सिविल पदों के भर्ती नियम तैयार और संशोधित करने के प्रयोजन से संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करना अपेक्षित है। उदाहरण के रूप में ऐसे संगठन हैं: - नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि।

7. क्या भर्ती नियमों की समय-समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक है?

भर्ती नियमों में पदों के वर्गीकरण, वेतन संरचना, भर्ती की पद्धति, विभागीय पदोन्नति / स्थायीकरण समिति (समितियों) का गठन, अनिवार्य योग्यताएं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की प्रक्रिया आदि से संबंधित विभिन्न विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित / अद्यतन किया जाता है। किसी विशिष्ट पद की संवर्ग संरचना और अनिवार्य योग्यताओं आदि में परिवर्तन (परिवर्तनों) के अनुसार भर्ती नियमों के विनिर्दिष्ट कॉलम (कॉलमों) में उचित संशोधन करना भी अपेक्षित है। तदनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि हर पांच वर्ष में एक बार भर्ती नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि परिवर्तित स्थिति के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जा सकें।

8. हितधारक कौन हैं और भर्ती नियम तैयार / संशोधित करने में कौन-सी प्रक्रिया सम्मिलित है?

- क. भर्ती नियम तैयार या संशोधित करने के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट शक्ति (शक्तियों) को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- ख. उक्त अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रस्ताव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- ग. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति के बाद उन पदों/सेवाओं के लिए भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव, संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किए जाते हैं जो इसकी परिधि के अंतर्गत आते हैं। संबंधित

मंत्रालय/संगठन को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अवगत कराया जाता है।

- घ. इसके पश्चात संबंधित मंत्रालय द्वारा भर्ती नियम, विधि एवं न्याय मंत्रालय को पुनरीक्षण के लिए भेजे जाते हैं।
- ड. तदुपरांत, भारत सरकार के राजपत्र में भर्ती नियमों को अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

9. क्या भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/संघ लोक सेवा आयोग को भेजने से पूर्व हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करना आवश्यक है?

पद के भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजने से पूर्व, मंत्रालयों/विभागों को हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्तावित भर्ती नियमों को 30 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर दर्शाना आवश्यक है। इसके बाद, प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखकर, प्रस्ताव भेजा जाता है।

10. संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) क्या है?

संघ लोक सेवा आयोग ने संबंधित मंत्रालय / विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए भर्ती नियम (भर्ती नियमों) को तैयार/संशोधित करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) प्रारंभ की है। एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अवर सचिव एवं उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को नामित किया जाना आवश्यक है। आयोग में भर्ती नियम शाखा में अवर सचिवों को उन्हें सौंपे गए मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव स्वीकार

करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पूर्व-निर्धारित जांच-सूची के आधार पर प्रस्ताव का प्रारंभिक संवीक्षा कर प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और सूचनाओं को विनिर्दिष्ट किया जाता है। यदि प्रस्ताव अपूर्ण पाया जाता है, तो इसके कारणों को उसी समय रिकार्ड किया जाता है और संबंधित मंत्रालय/विभाग के अधिकारी को आवश्यक अनुपालन के लिए सूचित किया जाता है। सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को आयोग द्वारा स्वीकार और प्रोसेस किया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 19.02.2018 से एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मिलने हेतु समय निर्धारित करने के संबंध में ई-अपॉइन्टमेंट प्रणाली विकसित की है। इस सुविधा के लिए वेब लिंक निम्नलिखित पर उपलब्ध है :-

<https://upsconline/miscellaneous/eappointment/src/> या

[orhttp://www.upsc.gov.in/single-window-system/recruitment-rules-branch](http://www.upsc.gov.in/single-window-system/recruitment-rules-branch)

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय/विभाग भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने संबंधी अपने प्रस्तावों को भर्ती नियम प्रतिपादन, संशोधन और मानीटरिंग प्रणाली (आरआरएफएएमएस) पोर्टल के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 03.12.2018 से आरआरएफएएमएस पोर्टल का यूपीएससी मॉड्यूल विकसित करने के साथ ही आरआरएफएएमएस पोर्टल पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव आयोग को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त होते हैं। सेवा नियमों या संघ राज्य क्षेत्रों और सांविधिक संगठनों, आदि से संबंधित प्रस्ताव अभी भी एसडब्ल्यूएस के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं।

11. क्या पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रस्ताव संबंधी किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के मामले में संघ लोक सेवा आयोग में मंत्रालय/विभाग से संपर्क करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है?

आरआरएफएएमएस पोर्टल पर विभाग से ऑनलाइन स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रालय/विभाग अपने प्रत्युत्तरों के समर्थन में दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में विभिन्न स्तरों पर बैठकों के लिए मंत्रालय/विभाग से ऑनलाइन संपर्क करने की व्यवस्था है। बैठक ऑनलाइन निर्धारित की जाती है और बैठक का कार्यवृत्त भी पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है।

12. एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) के अंतर्गत या आरआरएफएएमएस पर भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जांच-सूची क्या है?

संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजते समय उपलब्ध की जाने वाली आवश्यक सूचना/दस्तावेज के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग ने बिंदुओं की जांच-सूची तैयार की है। यह जांच-सूची संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए दिनांक 01.05.2015 से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें भर्ती की पद्धति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुबंध प्रस्तुत करने से संबंधित बिंदुओं की जानकारी होती है जिसमें अधिसूचना, शैक्षिक योग्यताओं, पद के सृजन, समायोजन, पदों को पुनःनामित करने आदि से संबंधित दस्तावेज विषय कवर किए गए हैं। जांच सूची से विभाग को संपूर्ण प्रस्ताव करने में सुविधा होती है। जांच-सूची के बिंदुओं को आरआरएफएएमएस पोर्टल में समाविष्ट किया गया है। तदनुसार, आरआरएफएएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, विभाग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने/आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।

13. प्रस्तावों में सामान्यतया किस प्रकार की कमियां पाई जाती हैं?

एकल खिड़की प्रणाली (एसडब्ल्यूएस) में विचारार्थ लाए गए या आरआरएफएएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में सामान्यतः निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं :-

- क. ड्राफ्ट प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संलग्न नहीं किया जाना।
- ख. एसडब्ल्यूएस की जांच-सूची के अंतर्गत अपेक्षित संगत दस्तावेज (दस्तावेजों) को संलग्न नहीं किया जाना।
- ग. अदालती मामले (मामलों) का प्रमाण-पत्र (अर्थात् प्रस्ताव न्यायाधीन/किसी न्यायालय में विचारधीन नहीं है) संलग्न नहीं किया जाना।
- घ. पदों की संख्या में परिवर्तन के समर्थन में पदों के सृजन/समापन/विलयन से संबंधित आवश्यक आदेश संलग्न नहीं किया जाना।
- ङ. शैक्षिक योग्यताएं पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अनुरूप नहीं हैं।
- च. अनुभव खंड में संबंधित क्षेत्र का अस्पष्ट अनुभव, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती के समय व्याख्या में कठिनाई हो सकती है।

14. अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए 'अर्हक सेवा' को किस प्रयोजनार्थ निर्धारित किया जाता है?

अर्हक सेवा, सेवा नियमों/भर्ती नियमावली में निर्धारित न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि होती है जिसे अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होने से पूर्व किसी पदधारी द्वारा एक ग्रेड में नियमित आधार पर पूरा किया जाना आवश्यक है।

15. क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के लिए "समकक्ष" का उपयोग किया जा सकता है?

भर्ती नियम तैयार/संशोधित/रियायत करने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग को शैक्षिक योग्यता का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और 'या समकक्ष' शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए। मंत्रालय/विभाग को पद से संबंधित कर्तव्य और दायित्वों के अनुरूप शैक्षिक योग्यता की सर्वांगीण सूची निर्धारित करनी चाहिए।

16. किसी पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति के साथ कब शामिल किया जाता है?

लेवल-10 से लेवल-11 में पदोन्नति के अतिरिक्त समूह 'क' में पदोन्नति के सभी मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति के साथ संघ लोक सेवा आयोग को शामिल किया जाता है।

17. क्या अधिकारियों के स्थायीकरण हेतु विचार करने के लिए गठित विभागीय स्थायीकरण समिति में संघ लोक सेवा आयोग को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है?

स्थायीकरण पर विचार करने के लिए गठित विभागीय स्थायीकरण समिति में संघ लोक सेवा आयोग को सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।

18. एकबारगी भर्ती की पद्धति क्या होती है और इस पर किन परिस्थितियों में इसके लिए विचार किया जा सकता है?

ऐसे नव-सृजित पदों, जिनमें भर्ती नियम अभी तैयार नहीं किए गए हैं और ऐसे पद जिनके भर्ती नियम निरस्त कर दिए गए हैं और इन पदों को तत्काल आधार पर भरा जाना आवश्यक है, के मामले में भर्ती नियमों के अभाव में पद को भरने के लिए एकबारगी भर्ती

की पद्धति निर्धारित करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को लिखा जा सकता है। भर्ती की यह पद्धति केवल एकबारगी ही उपलब्ध होती है और इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी बीच आगे के पदों को भरने के लिए विभाग को भर्ती नियम तैयार करना अपेक्षित होता है। यह विधि उन मामलों में नहीं लागू की जा सकती है जहां भर्ती नियम मौजूद हैं परंतु किसी कारण से प्रचलन में नहीं है।

19. भर्ती नियमों में छूट और एकबारगी भर्ती विधि में क्या अंतर है?

भर्ती नियमों में 'रियायत करने की शक्ति' खंड है जिसके अनुसार किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में भर्ती नियमों के कुछ प्रावधानों में छूट दी जा सकती है। इसके विपरीत, मंत्रालयों/विभागों द्वारा एकबारगी भर्ती की पद्धति के लिए ऐसे मामलों में अनुमति मांगी जाती है जहां किसी पद के लिए भर्ती नियम मौजूद नहीं हैं और भर्ती नियमों के अभाव में पद को भरने के लिए अधिभावी बाध्यताएं हैं।

20. क्या मंत्रालय/विभाग भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के दिए गए परामर्श की पुनरीक्षा की मांग कर सकता है?

विस्तृत औचित्य बताते हुए, मंत्रालय/विभाग, अधिसूचना से पहले, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की पुनरीक्षा की मांग कर सकता है। यदि इस औचित्य को आयोग द्वारा उपयुक्त माना जाता है, तो मंत्रालय/विभाग को संशोधित परामर्श सूचित किया जाता है। तथापि, यदि आयोग द्वारा पुनरीक्षा के कारणों को औचित्यसम्मत नहीं माना जाता है, तो मंत्रालय/विभाग को तदनुसार पूर्व परामर्श दिए गए भर्ती नियम अधिसूचित करने के लिए सूचित कर दिया जाता है। ऑनलाइन प्रस्तावों के मामले में आरआरएफएएमएस पर भी पुनरीक्षा तंत्र उपलब्ध है।

21. यदि भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के संबंध में मंत्रालय/विभाग संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमत होता है तब क्या होता है?

जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि अपेक्षित है, तो मंत्रालय/विभाग संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की पुनरीक्षा की मांग कर सकता है। तथापि, यदि मंत्रालय/विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के विरुद्ध भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए जाते हैं, तो ऐसे मामलों को संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं करने के रूप में माना जाता है। असहमति के ऐसे मामलों के विवरण का संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है।

22. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श दिए गए भर्ती नियमों को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिसूचित करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त होने के दस सप्ताह के भीतर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियम अधिसूचित कर दिए जाने चाहिए। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संघ लोक सेवा आयोग को रिकार्ड के लिए अधिसूचित नियमों की प्रति प्रदान करें। जहां तक आरआरएफएएमएस पोर्टल पर प्रोसेस किए गए ऑनलाइन प्रस्तावों का संबंध है, मंत्रालयों से अपेक्षित है कि वे आरआरएफएएमएस पोर्टल पर अधिसूचना की प्रति अपलोड करें। अधिसूचित नियम प्राप्त/अपलोड नहीं किए गए मामलों का उल्लेख संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में किया जाता है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

नोट : भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, कृपया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित दस्तावेज देखें :

1. दिनांक 31.12.2010 के का.जा. सं. एबी.14017/48/2010-स्था.(आरआर) द्वारा जारी भर्ती नियम तैयार/संशोधित/छूट देने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं -

http://documents.doptcirculares.nic.in/D2/D02est/AB.14017_48_2010-Estt.-RR.pdf

2. दिनांक 31.03.2015 के का.जा. सं. एबी.14017/13/2013-स्था.(आरआर) द्वारा जारी भर्ती नियम तैयार/संशोधित करने के प्रस्ताव को प्रोसेस करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के चरणबद्ध निर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं :-

http://documents.doptcirculares.nic.in/D2/D02est/AB-14017_13_2013-Estt.RR-31032015.pdf

संयुक्त सचिव (आरआर)

दिनांक 7 अगस्त, 2019